असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

13 मार्च, 2018

श्री सदानन्द सिंह : क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि संस्कृत और मदरसा के शिक्षकों के साथ जो वेतन की विसंगति है उसको एक समय सीमा के अंदर कब तक आप वेतन उस विसंगति को दूर करना चाहते हैं ?

अध्यक्ष : माननीय सदानन्द बाबू, यह तो छठे और सातवें वेतनमान की बात है आप वेतन विसंगति कहां से ले आये । वेतनमान तो लागू होता है....

श्री सदानन्द सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह वेतन विसंगतियां भी हैं इसमें संस्कृत और मदरसे को अन्य शिक्षकों की तुलना में कम वेतन दिये जाते हैं ।

अध्यक्ष : वही तो कह रहे हैं और इसमें विसंगति की बात नहीं की गयी है, वही बात तो हम कह रहे हैं । कम और अधिक की बात अलग है अभी छठा वेतनमान और सातवां वेतनमान की बात है । इसलिए माननीय मंत्री बताइये सातवें वेतनमान की बात ।

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री : सातवां वेतनमान का लाभ देने की प्रक्रिया चल रही है निश्चित रूप से इसको समय सीमा के अंदर - छठा का लाभ तो हमने दे दिया है।

अध्यक्ष : वह सीमा माननीय मंत्री जी तय कर देंगे, आप भरोसा रखिये ।

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री : आप भरोसा रखिये वह भी हो जायेगा ।

अध्यक्ष : अब आप नहीं पूछिए ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न स्पष्ट है और उत्तर अस्पष्ट है । छठा वेतनमान मिल रहा है मदरसा कर्मियों को और संस्कृत कर्मियों को सातवां वेतनमान नहीं मिल रहा है । माननीय सदस्य ने यह पूछा है कि जब अन्य कर्मियों को मिल रहा है तो मदरसा और संस्कृत के कर्मियों को क्यों नहीं मिल रहा है ? माननीय मंत्री ने कहा कि प्रक्रियाधीन है । मैं स्पष्ट रूप से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि तीन माह के अंदर सारी प्रक्रिया को पूरा करके मदरसा और संस्कृत के शिक्षकों को भी अन्य कर्मियों की तरह सातवां वेतन का लाभ दिलाना चाहते हैं या नहीं ?

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री : महोदय, हमने पहले कह दिया कि छठा का लाभ दे चुके हैं और सातवां की हमारी तैयारी है । हम यकीन के साथ और भरोसे के साथ आपको कह सकते हैं कि हमारी इन्तहाई कोशिश होगी कि बहुत कम समय सीमा के अंदर उसका लाभ दे दें ।

अध्यक्ष : आपसे भी कम कह रहे हैं ।

तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न सं0-1038(श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव)

श्री कृष्ण कुमार ऋषि,मंत्री : उत्तर अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि राज्य सरकार मुख्यमंत्री खेल विकास योजना अन्तर्गत प्रत्येक प्रखंड में एक आउटडोर स्टेडियम

बनाने का लक्ष्य है । पूर्वी चम्पारण जिला के चकिया प्रखंड में के गांधी मैदान चकिया में विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0-79, दिनांक 17.02.2009 द्वारा स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है । अतएव एक ही प्रखंड में दो स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति पर विचार नहीं किया जा सकता है । पूर्व में स्वीकृत उक्त स्टेडियम के निर्माण की अद्यतन स्थिति जानकारी की मांग विभागीय पत्रांक-15.05. 2017, पत्रांक-1317, दिनांक 18.12.17 द्वारा की गयी है ।

श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव : महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ हमने ग्रामीण की बात की है प्रखंड का, हमने नगर पंचायत नगर निगम का बात नहीं किया है । हम कह रहे हैं कि 18 पंचायत का प्रखंड चकिया है । जो 18 पंचायत है और हमलोग बल दे रहे हैं कि जो ग्रामीण युवा हो उसको खेल के प्रति जागरूक करें, लेकिन 40 कि0मी0, 35 कि0मी0 पड़ता है जहां नगर पंचातय में एक स्टेडियम है । जो नगर पंचायत के अधीन है । अब 40 कि0मी0 से जो ग्रामीण बच्चे वहां तो नहीं आयेंगे, इसलिए मैं आग्रह करता हूँ कि प्रखंड का हमने बात किया है, ग्रामीण इलाका का हमने बात किया है । हम आग्रह करेंगे कि ग्रामीण इलाका जो है प्रखंड उसमें बनाया जाय, आप नगर पंचायत की बात कर रहे हैं । हम प्रखंड की बात कर रहे हैं ।

टर्न-3 /अशोक/ 13.03.2018

<u>तारांकित प्रश्न संख्या-1039(श्री ललित कुमार यादव)</u>

श्रीमती कुमारी मंजु वर्मा, मंत्री : खंड-1 : अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि केन्द्र सरकार द्वारा नहीं बल्कि विभागीय स्तर पर प्रधानमंत्री मातृत्ववंदना योजना एवं किशोरी बालिका योजना की समीक्षा के दौरान प्रगति खेदजनक रहने के कारण विभागीय पत्रांक- 333 दिनांक 24.01.2018 से सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों का वेतन अगले आदेश तक अवरूद्ध कर दिया गया ।

खंड-2 : अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय स्तर से आवश्यक अनुश्रवण एवं अग्रेतर कार्रवाई करने से सम्प्रति प्रधानमंत्री मातृत्ववंदना योजना लागू होने से अबतक 131452(एक लाख इकत्तीस हजार चार सौ बावन) परियोजना स्तर पर लाभान्वितों का आवेदन प्राप्त कर लिया गया है, जिसमें से 97417 (सन्तानवे हजार चार सौ सतरह) लाभुकों का पंजीकरण की जा चुकी है । पंजीकृत लाभुकों में से 20985(बीस हजार नौ सौ पचासी) लाभुकों को राशि 2,52,35,000/-(दो करोड़ बावन लाख पैंतीस हजार) रू0 का भुगतान करा दिया गया है ।